संख्याः 8 /2024 / 241/सत्रह-म-2026 - 17-1099/55/2021

प्रेषक,

राम चरन राम,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊः दिनांक 16 फरवरी, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु लोक लेखा में निधि हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि, 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में अन्तरण हेतु रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-73/नि0शा0/2025-26 दिनांक 30.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु लोक लेखा में निधि हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि, 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में अन्तरण हेतु मत्स्य पालक कल्याण कोष में बुक इन्ट्री के माध्यम से अन्तरण करते हुए धनराशि रू0 2500.00 लाख वित्तीय स्वीकृति निदेशक मत्स्य के पदनाम से निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 797- आरक्षित निधियों/ जमा लेखों को अंतरण, 03- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण, 48- अन्तर्लेखा संक्रमण में प्राविधानित रू0 2500.00 लाख को लोक लेखा में निधि हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि, 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में बुक इन्ट्री के माध्यम से अन्तरण करते हुए रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नकद रूप में नहीं किया जायेगा, अपितु उसे पुस्तक समायोजन द्वारा लेखाशीर्ष 2405-मछली पालन 797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण 03-उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण 48-अन्तर्लेखा संक्रमण से स्वीकृत करते हुए उसे

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुस्तक समायोजन द्वारा लोक लेखाशीर्ष 8229-विकास तथा कल्याण निधि -200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि-19-उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में पुस्तांकित कराया जायेगा।

(2) लेखाशीर्ष 2405-797-03-48 अन्तर्लेखा संक्रमण से स्वीकृत धनराशि को बुक ट्रान्सफर द्वारा लोक लेखा निधि के लेखाशीर्ष 8229- लोक लेखा विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि, 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष में चालान के माध्यम से अंतरण किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि, व्यय धनराशि एवं बचतों का विवरण अंकित किया जायेगा। निधि के लेखें का अन्तरण निधि से व्यय एवं अवशेष धनराशि का नियमानुसार सत्यापन तथा मिलान महालेखाकार कार्यालय उ0प्र0 प्रयागराज के लेखे से निदेशक मत्स्य कार्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा कराया जायेगा तथा निदेशक मत्स्य एवं विभागाध्यक्ष मत्स्य विभाग द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रूपये 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक- 2405-मछली पालन, लेखाशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधि, 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि, 19- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष मद में डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

Digitally signed by RAMCHARAN RAM
Date: 13-02-2026 18:22:47

भवदीय
(राम चरन राम)
अनु सचिव।

संख्या: 8 / 2026 / 241(1)/सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5- संयुक्त निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम चरन राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।